I/16649/2023

उल्लंघन पत्र / ईमेल द्वारा

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
कार्यालय क्षेत्रीय खान नियंत्रक, जबलपुर

संख्या. – MCDR-MiFL0LST/2/2023-JBP-IBM_RO_JBP जबलपुर, दिनांक: 28.08.2023

सेवा में,

श्री अमित राय, श्री अंशुमन राय,
राय भवन, कटनी रोड, मैहर
पोस्ट - मैहर, जिला - सतना - 485771,
ईमेल - **raicomaihar@gmail.com**

विषय: मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में आपकी पहाड़ी -3 खान (6.543 हेक्टेयर), माइन कोड - 38MPR35058 में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन।

महोदय,

दिनांक 18.08.2023 को इस कार्यालय के सहायक खनन अभियंता, श्री अभिषेक रंजन गौतम द्वारा, श्री अमित राय, पट्टाधारी की उपस्थिति में किये गये निरीक्षण के दौरान आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली (एम सी डी आर), 2017 के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

नियम स.	पाए गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति
नियम 11 (1)	खनन पट्टे के अंतर्गत खनन परिचालन.- (1) खनन पट्टे का कोई भी धारक भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित, संशोधित या पुनर्विलोकित या राज्य सरकार द्वारा धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में स्थापित प्रणाली के अनुसार तैयार और अनुमोदित की गई खनन योजना के अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र में कोई खनन संक्रिया आरंभ या परिचालित नहीं करेगा। उक्त खदान की खनन योजना का पुनर्विलोकन को इस कार्यालय के पत्रांक- MP/SATNA/LIMESTONE/RMP-38/2020-21 दिनांक 01.03.2021 द्वारा अनुमोदित की गई, जिसमें वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक कार्य करने के प्रस्ताव शामिल हैं। निरीक्षण के दौरान एम सी डी आर 2017 के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया है.. 1. **खदान में प्रस्तावित बाउंड्री पिलर संख्या BP-2/3 &BP25/1 के बीच 7.5 मीटर क्षेत्र में पुनर्भरण का कार्य भी नहीं किया गया है।** 2. **खदान में प्रस्तावित क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है।**
नियम 31 (4)	इन नियमों के अंतर्गत अपेक्षित योजनाओं और खंडों (Plan & Section) को नियम 55 के उपनियम (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट 'अ' श्रेणी की खानों के मामले में तीन महीने के भीतर और किसी अन्य खदान के मामले में बारह महीने भीतर अद्यतन जाएगा। **खान स्थल कार्यालय में योजनाएं और खंडों (Plan & Section) अद्यतन और अनुरक्षित नहीं पाए गए।**

02. इस संबंध में यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि उपरोक्त उल्लंघन एम सी डी आर -2017 के नियम 62 के तहत दंडनीय अपराध है।

03. एम सी डी आर -2017 के नियम 11(1) का पालन न करने पर एम सी डी आर -2017 के नियम 11(2) के प्रावधानों के तहत खनन संक्रिया को निलंबित किया जा सकता है।

04. आपको सलाह दी जाती है कि उपरोक्त उल्लंघनों को तुरंत सुधारें और इस पत्र के जारी होने की तारीख से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को स्थिति से अवगत कराएं।

I/16649/2023

Signed by Ibrahim Sharief
Date: 08-09-2023 17:42:21
Reason: Approved

भवदीय,

(इब्राहिम शरीफ)
उप खान नियंत्रक
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि प्रेषित (ईमेल) :

01. संचालक, भौमिकी एवम खनिकर्म, मध्य प्रदेश सरकार, खनिज भवन, 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु.
02. खान नियंत्रक (मध्यांचल), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर
03. जिलाधीश, जिला - सतना (म.प्र.) सूचनार्थ ।

(इब्राहिम शरीफ)
उप खान नियंत्रक
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो